ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 91-**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

न्यायपालिका–प्रेस या मीडिया सम्बन्ध

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार दीक्षित

ब्रम्ह विज्ञान इण्टर कालेज, अतर्रा (उ0प्र0) भारत

Received-20.08.2025, Revised-27.08.2025, Accepted-05.09.2025 **E-mail : vishnucktd@gmail.com**

सारांशः ***मीडिया शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के मीडिया से हुई है, जिसका अर्थ माध्यम होता है। मीडिया अपने माध्यम से जनसमूह तक सूचना संप्रेषण का कार्य करती है, जो कि लिखित, मौखिक, दृश्यिक तीनों माध्यमों से अलग–अलग या सामूहिक रूप से हो सकता है। यह सम्प्रेषण दूर संचार, दूरदर्शन, रेडियो, समाचारपत्र, पत्रिका, चलचित्र या अन्य किसी माध्यम से हो सकता है। वर्तमान समय में मीडिया सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अहम भूमिका निभाती है, मीडिया के बिना इक्कीसवी शताब्दी में जीवन की कल्पना करना असम्भव है। मीडिया का प्रभाव व्यक्ति, परिवार, समाज, संगठन, संस्थान तथा सरकार तक है। उपर्युक्त कोई भी मीडिया से अछूता नहीं है, सरकार में मीडिया की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, किन्तु इसके महत्व के कारण कार्यपालिका–न्यायपालिका एव विधायिका के पश्चात् इसे शासक तंत्र का चतुर्थ स्तम्भ कहा जाता है और इसके महत्व के कारण आजकल इसे खबर पालिका कहा जाने लगा है। आजकल सरकार एवं सरकार के अधीन संस्थान मीडिया के माध्यम से ही जनमत या लोकमत के सृजन का कार्य करते है। सरकारे मीडिया के माध्यम से ही देशवासियों के अभिमत का अध्ययन करती हैं और अपनी नीतियों का निर्माण करती हैं। मीडिया अपनी सक्रियता और सजगता से शासन/सरकारों को सार्वजनिक कार्यों के प्रति सक्रिय एवं उत्तरदायी बनाती है। आज के सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में मीडिया ने राष्ट्रजीवन के प्रत्येक कोने को शामिल किया है।***

कुंजीभूत शब्द– **संगठन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस मीडिया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रजीवन, जनमत, लोकमत के सृजन।**

प्रस्तावना – देश के दूर–दराज के दुर्गम क्षेत्रों की खबरों को, सूचनाओं को, सरकारों तक पहुँचाती है, जिससे सरकार इस ओर भी अपना ध्यान लगाती है जिससे अधिक समावेशी तथा टिकाऊ नीतियों का निर्माण होता है। विकास से सतत् विकास की अवधारणा को स्थापित करने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।[3]

मीडिया की विशेषताएँ – अल्प समय में अपार जनसमूह तक पहुँच, भौगोलिक दूरी एवं दुर्गमता का प्रभाव न होना, कम व्यय में संदेश का प्रसारण, बहुभाषी समाज के लिए दृश्य मीडिया का उपयोग लाभकारी, नेत्रहीन दिव्यांग के लिए श्रृव्य मीडिया का लाभकारी होना, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से समाज से द्विआयामी अथवा बहुआयामी संवाद की क्षमता, उपर्युक्त विशेषताओं के कारण मीडिया आज अत्यधिक सशक्त साधन बन गयी है।[4]

मीडिया को उसकी विशेषताओं एवं उपयोगिता के आधार पर विभाजित करने पर मीडिया तीन भागों में विभाजित होती है। प्रथम प्रिंट मीडिया, द्वितीय प्रसारण मीडिया, तृतीय इंटरनेट।[5]

प्रिंट मीडिया, मीडिया का सबसे प्राचीन स्वरूप है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल में छापाखाने के विकास के साथ ही प्रिंट मीडिया का भी विकास माना जाता है।[6] इसके अंतर्गत समाचार–पत्र, पत्रिकायें, जर्नल, पुस्तक, पर्चे आदि आते हैं।

मीडिया के अन्य भागों का विकास होने के बाद भी प्रिंट मीडिया का महत्व, प्रभाव एवं उसके पाठक कम नहीं हुये है प्रिंट मीडिया का पाठक पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है[7] तथा यह कई अन्य तरीकों से भी समाज को लाभान्वित करती है।

प्रसारण मीडिया – प्रसारण मीडिया का प्रारम्भ 19वीं शताब्दी के अंत में मारकोनी से माना जाता है रेडियो के आविष्कार के पश्चात् प्रसारण मीडिया का प्रसार प्रारम्भ होता है और शीघ्र ही सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाता है।[8] 1920 के दशक में दूरसंचार के विकास में मीडिया के प्रसारण तंत्र को और अधिक सुगम एवं जीवंत बनाया।[9]

आज विकास एवं तकनीकि के सुलभ एवं कम खर्चीले साधनों के द्वारा स्थानीय समाचार स्टेशन अपनी स्थानीय बोली, भाषा में स्थानीय खबरों को दर्शकों तक पहुँचाते है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको समय के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है। टेलीविजन एवं रेडियो, आपदा काल में भी चेतावनी देने, सूचना देने तथा राहत एवं बचाव कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, चूंकि दृश्य मस्तिष्क में अधिक प्रभाव डालते हैं। इसलिए टेलीविजन आज हर घर की एक आवश्यकता बन गया है,[10] जिस प्रकार कभी रेडियो हुआ करता था।

इंटरनेट – समय के साथ तकनीकी विकास ने भारत को इण्टरनेशनल नेटवर्क (इंटरनेट) दिया, 1980 के दशक में इंटरनेट का आविष्कार सर्फ एवं कानू के द्वारा हुआ,[11] जोकि शीघ्र ही सम्पूर्ण विश्व में विस्तृत हुआ और अपनी उपयोगिता से एक आवश्यकता बन गया। इसका अपार ज्ञान भण्डार विद्युत सी तीव्र गति ने सम्पूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया। इण्टरनेट में ऑडियो एव वीडियो दोनों होते हैं।[12] कम्प्यूटर ने अपने आपको इण्टरनेट के माध्यम से ही सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बना दिया, जबसे मोबाइल में इण्टरनेट की सुविधा आ गयी है, तब से इण्टरनेट मीडिया और अधिक लोकप्रिय हो गयी है एवं इसने टेलीवीजन, रेडियो दोनों का स्थान ग्रहण कर लिया है।

इण्टरनेट ने जनसंचार के नये द्वार का सृजन किया है जहाँ पर लोग समाचारों, सूचनाओं को आनलाइन देखना पसंद करते हैं। इंटरनेट में आपने पसंद के क्षेत्र को चुनने एवं उससे जुड़ी अनेकों सूचनाओं को प्राप्त करने का मार्ग सुगम होता है। इस माध्यम से उपभोक्ता समय एवं स्थान आबद्ध नहीं रहता, वह सूचना एवं समाचार को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करता है। साथ ही अपने विचार एवं टिप्पणियों को भी दर्ज कराता है, जिसे विश्व के किसी भी स्थान में बैठे व्यक्ति पढ़ते, देखते एवं समझते हैं।[13]

उपर्युक्त विशेषताओं के साथ ही साथ इण्टरनेट मीडिया के कुछ दुष्प्रभाव भी है, जैसे इसका नियंत्रण हीन होना, मर्यादा हनन, पीत पत्रकारिता, निश्चित एजेण्डों का चलाया जाना, अत्यधिक हिंसा, अपराध का विवेकशून्य होकर प्रसारण इसको समाज के लिए खतरनाक भी सिद्ध करते हैं।[14]

विश्व के समक्ष आज उपस्थित सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद, इण्टरनेट को अपने प्रोपेगेण्डा के प्रकार के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानता है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

प्रशासन में मीडिया की भूमिका – 21वीं शताब्दी में शासन की अवधारणा में कई प्रगतिशील तत्वों का समावेश हुआ और यह सुशासन के रूप में स्थापित हुआ, सुशासन से तात्पर्य उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेही, सतत समावेशी शासन से है सुशासन में जनता की भागीदारी, उसकी समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण एवं निष्तारण होना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण कार्य को मीडिया करती है। एक जिम्मेदार मीडिया तंत्र ही लोकतंत्र में जनमानस का विश्वास मजबूत करती है और यह कार्य वह मानव अधिकारों के प्रति सरकार को जागरुक करके करती है, यदि सरकार अपने प्राथमिक दायित्वों को भूलती है तो मीडिया अपनी जीवंत भूमिका का निर्वहन करती है और सरकार एवं आम जनमानस को समस्याओं के प्रति अति संवेदनशील बनाती है।[15]

मीडिया न्यायपालिका को अपनी सक्रियता से संवेदनशील बनाती है तथा नागरिकों के भावनाओं को मंच प्रदान करती है, मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार में अवरोध, विधि का क्रियान्वयन, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के लिए पटल प्रदान करती है। संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका को मीडिया अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करती है। मीडिया के माध्यम से राज्य एवं नागरिकों के मध्य सम्बंध मजबूत किये जा सकते हैं। संतुलित और विश्वसनीय सूचना तंत्र से समाज में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे विधि के शासन का आधार मजबूत होता है,[16] जिससे कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका तीनों साम्यावस्था में रहकर अपने कार्यों को करते हैं।

न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका परस्पर विरोधाभाषी नहीं है, अपितु एक–दूसरे की पूरक है एक उत्तरदायी पत्रकार तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् किसी घटना का प्रसारण करता है। मीडिया आमजन मानस में न्यायपालिका की कार्य प्रणाली के बारे में ज्ञान का प्रसार करके लोगों को न्यायलय के निकट लाता है। वर्तमान में जब आम जनमानस, न्याय व्यवस्था बनाने वाली संस्थाओं जैसे पुलिस अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की झलक देखती है, तब उनका विश्वास इन संस्थाओं से उठने लगता है।[17] इसी अवस्था में मीडिया इन संस्थाओं के भ्रष्टाचार को उजागर करती है तथा पुनः विश्वास को स्थापित करती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार है, किन्तु इसके साथ अनुच्छेद 19 (2) में कुछ प्रतिबंध भी है, जिनका पालन करना भी आवश्यक है। मीडियो को दोनों ही अनुच्छेदों को ध्यान रखना चाहिए, न्याय वितरण में पुलिस, प्रेस व न्यायपालिका की परिपूरक भूमिका होती है[18] तथा तीनों में परस्पर सामंजस्य एवं समन्वय होना आवश्यक है ताकि पीड़ित या असहाय व्यक्ति को तुरंत न्याय मिल सके और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।[19] किन्तु कुछ मीडिया कर्मी अपनी कलम का दुरुपयोग करते हुये कहीं न कहीं समाज में अराजकता भय एवं अविश्वास का वातावरण बनाते है, भारत में समय–समय पर घटित घटनाओं में मीडिया की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है।

1980 के दशक में जम्मू–कश्मीर राज्य में आतंकवाद के द्वारा कश्मीरी हिन्दुओं का नरसंहार, गोधरा काण्ड 2002, 2 जी स्प्रेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला मुजफ्फर नगर दंगा 2013, आदि में मीडिया निष्पक्ष नहीं रही और अपनी कलम का दुरुपयोग करते हुए, शांति, सौहार्द और समरसता की भावना को आघात पहुंचाया है।[20] मीडिया को यह पता होना चाहिए कि न्याय प्रणाली के अंतर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है तथा प्रत्येक अपराधी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसमें विरुद्ध सभी तथ्य सिद्ध न हो जाये, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जोसेफ कुरियन ने अपने एक निर्णय में कहा था, कि मीडिया ट्रायल न्याय को पटरी से उतार देता है तथा लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठने लगता है समाज के रगों में नव चेतना का संचार करने वाले मीडिया समुदाय का विशेष कर्तव्य बनता है, कि वह अपने, हाथों में सधी हुयी लेखनी लेकर, भावों और विचारों का अविरल प्रवाह करके, समाज की अभेद्य रक्षा पंक्ति में उल्लेखनीय योगदान दे।[21]

भारत मे मुख्य न्यायाधीश ए.वी.रमन्ना ने 17वें जस्टिस पी.डी. देसाई स्मारक व्याख्यान में कानून के शासन विषय पर बोलते हुये कहा कि "जबकि कार्यपालिका के दबाव के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, यह चर्चा करना भी अनिवार्य है कि सोशल मीडिया के रूझान, संस्थानों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका को सरकारी शक्ति और कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को जनमत की भावनात्मक भाव से भी नहीं प्रभावित होना चाहिए, जिसे सोशल मीडिया प्लेट फार्म के माध्यम से, बढ़ाया जा रहा है और इस तथ्य से सावधान रहना चाहिये, कि इस प्रकार बढ़ाया गया शोर, जरूरी नहीं कि सही हो और यह क्या है और बहुमत इससे क्या मानता है और इसको क्या प्रतिबिम्बित करता है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, कि नये मीडिया उपकरण जिनमें व्यापक विस्तार करने की क्षमता है किन्तु वे सही और गलत, अच्छे और बुरे, असली और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ है इसलिये मीडिया परीक्षण ही मामलों को तय करने में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकती।

निष्कर्ष – लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में जाना जाने वाला मीडिया। प्रेस भी राज्य की गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर देखा जाये तो दोनों अंगों में पारदर्शिता, कर्तव्यों के प्रति सजगता अविवेकपूर्ण लिये या किये गये कृत्य पर रुकना और सही मार्ग में आने का मौका देता है, न्यायपालिका और मीडिया के सम्बंधों पर चर्चा के दौरान सकारात्मक पहलू के साथ कुछ बिन्दुओं पर मीडिया के नकारात्मक पहलू पर भी चर्चा की गयी है, जब विषय राष्ट्र की एकता और अखण्डता के साथ सुरक्षा हो या मीडिया की सक्रियता नुकसान भी पहुंचाती दिखती है।

सदर्न्भ ग्रन्थ सूची

1. "समझना ही होगा आधुनिक काल में सोशल मीडिया की संभावनाओं को" डॉ0 राकेश राणा, पत्र उगता भारत, 08.10.2020.
2. बीबीसी न्यूज :(अमरनाथ तिवारी द्वारा) http%//news-bbc-co-uk/go/put&12/hi.
3. भट्ट, एस.सी. 1994, सैटेलाइट इंवेशन इन इंडिया, सेज, नयी दिल्ली।
4. बुचर, मेलिसा 2003, ट्रांसनेशनल टेलीविजन, कल्चर आइडेंटिटी एंड चेंज व्हॅन स्टार केम टू इंडिया सेज, नयी दिल्ली।
5. चौधरी, मैत्रेयी 2005, 'ए क्वेश्चन ऑफ च्वाइसः एडवरटजमेंट्स मीडिया एंड डेमोक्रेसी' एड. बर्नार्ड बैल एट एल मीडिया एंड मिडिएशन कम्यूनिकेशन प्रोसेसेस भाग–1, पृष्ठ–199–226, सेज, नयी दिल्ली।
6. चटर्जी, पी. सी. 1987, ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, सेज, नयी दिल्ली।
7. देसाई ए. आर. 1948, दि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई।

8. घोष, सागारिका 2006, 'इंडियन मीडिया ए फ्लाब्ड यट रॉबस्ट पब्लिक सर्विस' इन. बी. जी. वर्गीज (संपादित) टुमॉरोज इंडियाः अनादर ट्रस्ट विद डैस्टीनि, वाइकिंग, नयी दिल्ली।
9. जोशी, पी. सी. 1986, कम्युनिकेशन एंड नेशन बिल्डिंग, पब्लिकेशन डिविजन जी. ओ. आई. दिल्ली।
10. जेफरी, रोजर 2000, इंडियाज न्यूजपेपर रिवोल्यूशन, ओ. यू. पी., दिल्ली।
11. मोरे, दादासाहेब विमल 1970, 'टीन दगदाचाची चुल' इन शर्मिला रंगे राइटिंग कास्ट/राइटिंग जैंडर मेरेटिंग दलित वुमेंस टेस्टीमनीज, जुबानध्काली, 2006, दिल्ली।
12. पेज, डेविड और विलियम गावले 2001 सेटेलाइट ओवर साउथ एशिया, सेज, नयी दिल्ली।
13. सिंघल, अरविंद और ई. एम. रोजर्स 2001, इंडियाज कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन।
14. मेलिवन एल. डिफ्लेटर–एवरेटी इन डेनिस, 1991, अंडरस्टैंडिंग मास कम्युनिकेशन, गोयल साब, नई दिल्ली।
15. सबीर घोष, 1996, मास कम्युनिकेशन टुडे इन द इंडियन कांटेक्सट प्रोफाइल पब्लिशर्स।
16. केवल जे. कुमार, 1981 मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, जयको पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई।
17. डे प्रदीप कुमार, 1993, परस्पेक्टिव इन मास कम्युनिकेशन, कल्याणी पब्लिशर्स नई दिल्ली।
18. यूनेस्को (2009)। सुशासन क्या है। से प्राप्तः http://www-unescap-org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance-asp
19. जेम्स, बी। (2006)। मीडिया और सुशासन। से लिया गयाः http://unesdoc-unesco-org/images/0014/001463/146311e-pdf
20. गोरवाला, ए.डी. (1971)। एक शिक्षाप्रद कारक के रूप में प्रेस। ए.जी. नूरानी (सं.) में। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। बॉम्बेः नचिकेता।
21. श्रृंगारपुरे, एस. (2016), भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान जर्नल 2(6) 7–8.

*****